संख्या — /XXIV(6)/2014

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमांऊ विश्वविद्यालय,
नैनताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक २५ फरवरी, 2014

विषयः कुमांऊ विश्वविद्यालय में 60 छात्रों के लिए छात्रावास हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकःके0यू0/ भवन–317/2013/134 दिनांक 25.07.2013 एवं पत्रांकः के0यू0/भवन–317/2014/184 दिनांक 10.02.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें कुमांऊ विश्वविद्यालय में 60 छात्रों के लिए छात्रावास हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में अवमुक्त की गई धनराशि का वित्तीय, भौतिक प्रगति विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स आदि उपलब्ध कराते हुए उक्त निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि ₹ 150.41 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुमांऊ विश्वविद्यालय हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आंगणन ₹ 233.96 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ 200.41 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्याः 159/XXIV(6)/2008 दिनांकः 19.12.2008 द्वारा ₹ 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। प्रश्नगत् चालू निर्माण कार्यो हेतु उक्त संस्तुत धनराशि की अवशेष **धनराशि ₹ 150.41 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख इक्तालिस हजार मात्र)** में से 109.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284 दिनांकः 30.3.2013 एवं संख्याः 413/XXVII(1)/2013 दिनांकः 10.6.2013 मे उल्लिखित निर्देशानुसार तथा निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) कुलपति, कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कर लिया गया है। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी एवं दायित्व उत्पन्न होने पर ही चरणबद्ध रूप से कार्यदायी संस्था की आवश्यकतानुसार ही धनराशि अवमुक्त की जाये।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत किया जाएगा। तत्पश्चात नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक धनराशि रोककर कार्य की लागत मे वृद्धि नहीं की जाएगी।

(iii) स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत् रखते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जाये। चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यो हेतु जब अन्तिम किश्त निर्गत की जाय तो उक्त अन्तिम किश्त निर्गत करने से पूर्व उक्त कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Evaluation) करा लिया जाय, ताकि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

(iv) आंगणन दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट के स्वीकृत नहीं है अथवा बांजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। अतिरिक्त अनुदान

क्रमशः2

की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा। **प्रश्नगत कार्य आगणन की संस्तुत लागत में ही पूर्ण करा लिया जाएगा।** इस हेतु कार्यदायी संस्था से लिखित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाय तथा कार्य की प्रगति कर नोडल अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण कर निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण करा लिया जाय। उक्त निर्माण कार्य के आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, एवं किसी भी दशा मे अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(vi) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्माण सामग्री उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग किया जाय।

(vii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित करते समय पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 2047/XIV-2219(2006) दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाए एवं विशेष रूप से किए जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आंगणन में की जाए। कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तदायी मानी जाएगी।

4– व्यय उन्हीं कार्यो/योजनाओं मदों पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों में वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित् अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 413/XXVII(I)/2013 दिनांकः 10.6. 2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार एवं पूर्व में निर्गत वित्तीय मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

6– व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एसएण्डडी की दर संबंधी शासनादेशों का पूर्ण पालन किया जाना होगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय, भौतिक विवरण आदि की सूचना प्रशासकीय विभाग के साथ ही नियोजन/वित्त विभाग को माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा कार्यो की सतत् मोनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

8– निमार्ण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)2007 दिनांक 15.12.2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रकरणाधीन कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांकः 551/XXVII(1)2010 दिनांकः 19.10.2010 के आलोक में द्वितीय चरण के प्राथमिक कार्यो के लिए समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

9– विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित ₹ 150.41 के विरूद्ध ₹ 109.1 लाख की उपरोक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 41.31 लाख (इकतालीस लाख इक्कतिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र ही पृथक से

क्रमशः3

निर्गत कर दी जाएगी। तद्नुसार निर्गत होने वाली धनराशि को एकमुश्त ही समझा जाय।

10– विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से इस आशय से लिखित प्रमाण प्राप्त कर ले कि संस्तुत लागत एवं निर्धारित समय सीमा में ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा

11– उक्त कार्यों हेतु विगत् शासनादेश संख्या: 159/XXIV(6)2008 दिनांक: 19-12-2008में उल्लिखित शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

12– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284 दिनांक: 30.3.2013 एवं शासनादेश संख्या: 413/XXVII(3)/2013 दिनांक: 10.6.2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार तथा www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत **विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0संख्या–** HL4021115 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

13– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत् पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–14–कुमांऊ विश्वविद्यालय–35–पूँजीगत् परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या: 307/51(4)/3 /XXIV(6)/2014/दिनांकित:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. प्रमुख सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल ।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, अल्मोडा।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव ।

K:U-GO.ktc